डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम —हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

श्रीमती सुनीता देवी उम्र 34 साल पत्नी श्री जीतेन्द्र सिंह गुर्जर जाति—गुर्जर निवासी बड़ी बाखर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान———————————वादीया

बनाम

1. रूपराज उम्र 40 साल पुत्र श्री नारायण सिंह उर्फ नादान निवासी मेंहदीवालापुरा के पास, मलघर के पास, मुकन्दपुरा रोड, हिण्डौन सिटी जिला करौली।
2. रीना उम्र 24 साल पत्नी श्री निरन्दर सिंह जाति गुर्जर, निवासी मेंहदीवालापुरा के पास, मलघर के पास, मुकन्दपुरा रोड, हिण्डौन सिटी जिला करौली।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिटी ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा, **मुकदमा नं0 220/2023**
एवं हुक्मईम्तनाई दवामी

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन जानिव मुदई रूबरू श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 7226/1 रकबा 0.1380 है0, 7227/2 रकबा 0.1820 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादीया श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री जीतेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 7226/2 रकबा 0.0120 है0, 7227/1 रकबा 0.10 है0, 7227/3 रकबा 0.0180 है0, 7225 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल रकबा 0.64 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी रूपराज पुत्र नारायणसिंह हि0 1/2, रीना पत्नि स्व0 निरन्दरसिंह हि0 1/2 जातियान गुर्जर निवासीयान हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 7226/1 रकबा 0.1380 है0, 7227/2 रकबा 0.1820 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादीया के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय उत्पन्न करें, वादीया को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीया के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.09.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

24/9/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 220/2023 तारीख रजू:– 04.10.2023

जीसीएमएस नं. 2023/466

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

श्रीमती सुनीता देवी उम्र 34 साल पत्नी श्री जीतेन्द्र सिंह गुर्जर जाति–गुर्जर निवासी बड़ी बाखर, हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान———————वादीया

बनाम

1. रूपराज उम्र 40 साल पुत्र श्री नारायण सिंह उर्फ नादान निवासी मेंहदीवालापुरा के पास, मलघर के पास, मुकन्दपुरा रोड, हिण्डौन सिटी जिला करौली।
2. रीना उम्र 24 साल पत्नी श्री निरन्दर सिंह जाति गुर्जर, निवासी मेंहदीवालापुरा के पास, मलघर के पास, मुकन्दपुरा रोड, हिण्डौन सिटी जिला करौली।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिटी ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकास्मा आराजीयात
एवम हुक्म इम्तनाई

उपस्थितिः– 1. श्री लखनलाल गोयल अधिवक्ता वादीगण
2. श्री पीएल गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी सं01,2

निर्णय

दिनांक :–24.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि वादीया का दावा बाबत तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी दिनांक 17.02.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा मौका कमीश्नर 1000 रूपये फीस पर नियुक्त कर निर्देश दिये गये कि खसरा नम्बर 7225, 7226, 7227 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन, जिला करौली में वादीया एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर वादीया एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में हिस्से व कब्जे अनुसार अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के अनुसार बंटवारा स्कीम तैयार करें। बटवारा स्कीम दो प्रतियों में

उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डौन सिटी (करौली)

मय नक्शा ट्रेश के न्यायालय में प्रस्तुत की जावे। नक्शा ट्रेस में अलग–अलग रंगों से वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अंकित करें।

मुताविक आदेश तहसीलदार हिण्डौन के पत्रांक भू.अ./2025/1760 दिनांक 08.07.2025 से उक्त उनवानी प्रकरण में बंटवारा स्कीम मय ट्रेस न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बंटवारा स्कीम पर बहस सुनी गई। वकील वादीया ने बंटवारा स्कीम पर आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया। जो खारिज किया जा चुका है। वकील वादीया दौराने बहस बंटवारा स्कीम को गलत बताया है जबकि प्रतिवादी अधिवक्ता ने बंटवारा स्कीम को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा तैयार किया जाना अवगत कराया है। इसलिए तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर दावा फाईनल डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 7226/1 रकबा 0.1380 है0, 7227/2 रकबा 0.1820 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन वादीया श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री जीतेन्द्रसिंह जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी है तथा खसरा नम्बर 7226/2 रकबा 0.0120 है0, 7227/1 रकबा 0.10 है0, 7227/3 रकबा 0.0180 है0, 7225 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी रूपराज पुत्र नारायणसिंह हि0 1/2, रीना पत्नि स्व0 निरन्दरसिंह हि0 1/2 जातियान गुर्जर सा0देह खातेदार के हिस्से में आयी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम मुताविक प्राथमिक डिक्री एवं पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त एवं अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तैयार किया जाना सही प्रतीत होता है तथा मुताविक बंटवारा स्कीम वादीया का दावा फाईनल डिक्री योग्य हैं। जिसमें प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होना

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया है। इसलिए वादीया का दावा मुताविक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा एवं हुक्मईम्तनाई दवामी तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर फाईनल डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 7226/1 रकबा 0.1380 है0, 7227/2 रकबा 0.1820 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन का वादीया श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री जीतेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 7226/2 रकबा 0.0120 है0, 7227/1 रकबा 0.10 है0, 7227/3 रकबा 0.0180 है0, 7225 रकबा 0.51 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.64 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन प्रतिवादी रूपराज पुत्र नारायणसिंह हि0 1/2, रीना पत्नि स्व0 निरन्दरसिंह हि0 1/2 जातियान गुर्जर निवासीयान हिण्डौन को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का ही एक भाग है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 7226/1 रकबा 0.1380 है0, 7227/2 रकबा 0.1820 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.32 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादीया के उपयोग उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय उत्पन्न करें, वादीया को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करें तथा प्रतिवादीगण ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे वादीया के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व फाईनल डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार फाईनल पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली